

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -266 / 2023

अनवान : -

1. सरीफ पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. यासीन पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. हसना पत्नी खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. सोहील खां पुत्र हारून खान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. बलकीसा पत्नी हारून खान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. सबनम पुत्री हारून खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. जमीला पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. हलीमा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. हरीश पुत्र खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. राबीया पुत्री खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. रहीशा पुत्र खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. रफीजा पुत्री खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. हुसना बेगम पुत्री खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर।
13. हुसना बेगम पुत्री खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर।
14. अब्दुल सतार पुत्र जेनब पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
15. मकसूद अहमद पुत्र जेनब पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. फातमा बानो पुत्री जेनब पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
17. बसीर पुत्र जेनब पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
18. कलसुमा पुत्री जेनब पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
19. नजमा पुत्री जेनब पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
20. सलमा पुत्री बसीरा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
21. नजमा पुत्री बसीरा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
22. मदीना पुत्री बसीरा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
23. युसब पुत्र बसीरा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
24. युनस पुत्र बसीरा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।

25. सोकिन पुत्र बसीरा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
26. नसरीना पुत्री बसीरा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— असल प्रतिवादीगण

- | | | |
|--------------|---|--|
| 28. सानिया | } | नाबालिग पुत्र पुत्री माफीया पुत्री हारून जरिये कुदतरती बली
माता माफीया पुत्री हारून जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर
तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ |
| 29. आयूब खान | | |
| 30. सिमरन | | |
| 31. समीना | | |

— तरतीवी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादीया

निर्णय दिनांक: 06.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 1 एनएचआर-बी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 89/86 के कुल किता 8 का कुल क्षेत्रफल 1.2150 है0 भूमि में मृतक खुशी मोहम्मद पुत्र नूरदीन का 127/2430 हिस्सा, मृतक नाजरा पत्नी नूरदीन का 1/5 हिस्सा, मृतक हारून पुत्र नूरदीन का 1/5 हिस्सा, वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 127/2430 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 6 व 7 जो कि वादी की बहिने है व प्रतिवादी संख्या 14 ता 19 जो कि वादी की मृतक बहिन जेनब के वारिस है व प्रतिवादी संख्या 20 ता 26 जो कि वादी की मृतक बहिन बसीरा के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई व मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग रोही मौजा 1 एनएचआर-बी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 89/86 के कुल किता 8 का कुल क्षेत्रफल 1.2150 है0 भूमि में मृतका नाजरा पत्नी नूरदीन के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ब0 हि0 ब0 3/4 हिस्सा पर काबिज है व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 प्रत्येक 1/16 हिस्सा भूमि पर काबिज है व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 28 ता 31 ब0 हि0 ब0 1/16 हिस्सा भूमि पर काबिज है मृतक खुशी मोहम्मद पुत्र नूरदीन के नाम दर्ज 127/2430 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2

काबिज है व मृतक हारून पुत्र नूरदीन के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में से 3/4 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है व शेष 1/4 हिस्सा भूमि में तरतीवी प्रतिवादी संख्या 28 ता 31 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 26 व 28 ता 31 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2071-74 रोही मौजा 1 एनएचआर बी खाता स0 89/86 प्रदर्श-1, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक नूरदीन प्रदर्श-2, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक नाजरा पत्नी नूरदीन प्रदर्श-3, मृत्यु प्रमाण पत्र हरून प्रदर्श-4, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक खुशी मोहम्मद प्रदर्श-5, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक बशीरा प्रदर्श-6, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक जैनब प्रदर्श-7, मृत्यु प्रमाण पत्र माफीया प्रदर्श- 8, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श-9 आदि प्रदर्शित करवाए।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 26 ने वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा 1 एनएचआर-बी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 89/86 के कुल किता 8 का कुल क्षेत्रफल 1.2150 है0 भूमि में मृतक खुशी मोहम्मद पुत्र नूरदीन का 127/2430 हिस्सा, मृतक नाजरा पत्नी नूरदीन का 1/5 हिस्सा, मृतक हारून पुत्र नूरदीन का 1/5 हिस्सा, वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 127/2430 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक नाजरा के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 26 व 28 ता 31 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी के वाद को

प्रतिवादीगण स0 1 ता 26 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 एनएचआर-बी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 89/86 के कुल किता 8 का कुल क्षेत्रफल 1.2150 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में मृतका नाजरा पत्नी नूरदीन का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ब0 हि0 ब0 3/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 प्रत्येक 1/16 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 28 ता 31 को ब0 हि0 ब0 1/16 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 127/2430 हिस्सा भूमि में मृतक खुशी मोहम्मद पुत्र नूरदीन का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/5 हिस्सा भूमि में मृतक हारून पुत्र नूरदीन का नाम कलमजन किया जाकर 3/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/4 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 28 ता 31 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक...6.5.23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023
कैम्प कोर्ट- 22 एनटीआर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

अनवान : -

1. सरीफ पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. यासीन पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. हसना पत्नी खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. सोहील खां पुत्र हारून खान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. बलकीसा पत्नी हारून खान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. सबनम पुत्री हारून खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. जमीला पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. हलीमा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. हरीश पुत्र खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. राबीया पुत्री खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. रहीशा पुत्र खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. रफीजा पुत्री खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. हुसना बेगम पुत्री खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर।
13. हुसना बेगम पुत्री खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर।
14. अब्दुल सतार पुत्र जेनब पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
15. मकसूद अहमद पुत्र जेनब पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. फातमा बानो पुत्री जेनब पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
17. बसीर पुत्र जेनब पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
18. कलसुमा पुत्री जेनब पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
19. नजमा पुत्री जेनब पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
20. सलमा पुत्री बसीरा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
21. नजमा पुत्री बसीरा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
22. मदीना पुत्री बसीरा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
23. युसब पुत्र बसीरा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
24. युनस पुत्र बसीरा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
25. सोकिन पुत्र बसीरा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
26. नसरीना पुत्री बसीरा पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— असल प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

28. सानिया

29. आयूब खान

30. सिमरन

31. समीना

नाबालिग पुत्र पुत्री माफीया पुत्री हारून जरिये कुदतरती बली
माता माफीया पुत्री हारून जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर
तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

— तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 266 सन 2023 निर्णय दिनांक 06.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 एनएचआर-बी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 89/86 के कुल किता 8 का कुल क्षेत्रफल 1.2150 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में मृतका नाजरा पत्नी नूरदीन का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ब० हि० ब० 3/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 प्रत्येक 1/16 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 28 ता 31 को ब० हि० ब० 1/16 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 127/2430 हिस्सा भूमि में मृतक खुशी मोहम्मद पुत्र नूरदीन का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/5 हिस्सा भूमि में मृतक हारून पुत्र नूरदीन का नाम कलमजन किया जाकर 3/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/4 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 28 ता 31 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...6/5/23...को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-22 एनटीआर